

OS. 749/20

34/2

न्यायालय श्रीमान सिविल जज & प्रवर डाण्डे महोदय कोर्ट सं 0 15 सुलतानपुर



In the Court of C.M.J. & P. (C.N. 15) 2020  
Zahid Ali vs. Kousar Ali & others  
R.S. No. 126

1- जाद्वि अली आयु लगभग 80 साल सुत नासिर अली निवासी ग्राम  
गोरा वारिक मी रानपुर & अमडट तहसील सदर परगना मी रानपुर जनपद  
सुलतानपुर वादी

बनाम

- 1- कौसर अली आयु लगभग 47 साल । सुतगणा
- 2- सरवर अली आयु लगभग 41 साल । हाकिम अली
- 3- कमर जहाँ आयु लगभग 43 साल पुत्री गणा
- 4- गुलाब जहाँ आयु लगभग 45 साल हाकिम अली
- 5- जावेद हुसैन खान आयु लगभग 45 साल सुत नईम उल्ला खान  
निवासी ग्राम अहई परगना मी रानपुर, तहसील सदर, जनपद सुलतानपुर
- 6- शाबनम जमाल आयु लगभग 34 साल पत्नी सईद अहमद निवासी ग्राम  
परियापुर शाहर परगना मी रानपुर तहसील सदर जनपद सुलतानपुर  
प्रतिवादी गणा

दावा स्थायी व्यादेश  
सं 0 वाद सं 0 सत्र 2020

महोदय,

यादी निम्नलिखित विवेक करता है कि :-

341  
3

धारा 1 :- यहकि यादी ग्राम गोरावारिक मोरानपुर अमडट परगना मोरानपुर तहसील सदर जनपद मुजतानपुर का निवासी है। और उभापक्षगण गाटा सं० 1156 मि० क्षेत्रफल 0.3130 हे० स्थित ग्राम गोरावारिक मोरानपुर तहसील सदर जनपद मुजतानपुर के संकुम्पीय भूमिधार है।

धारा 2 :- यहकि वाद पत्र के साथ एक नक्शा नजरी दिया जा रहा है जिसमे विवादित भूमि को भाग 1 को अक्षर अ,ब,स,द, से और भाग 2 को घ,र,ल,व से लाल रंग की रेखाओं से घेर कर दिखाया गया है। नक्शा नजरी वाद पत्र का अभिन्न अंग है।

धारा 3 :- यहकि वाद के न्याय निर्णय हेतु निम्नलिखित क्वाकली का अवलोकन किया जाना आवश्यक है :-

नासिर अली

जाद्विद अली	हामिद अली		
	॥ मुक्त ॥		
कौसर अली	सरवर अली	कमर जहाँ	मुलाबजहाँ

धारा 4 - यहकि विवादित भूमि में भाग 1 की चौहददी उत्तर - अहाता अज्ञात दक्षिण - मस्जिद अक्सा, पश्चिम - सेनाली विहार कालोनी, पूरब - नबीन मण्डी मार्ग, तथा विवादित भूमि में भाग 2 की चौहददी उत्तर - गोधाम हाफिज जी, दक्षिण, हाता जावेद कबाड़ी पूरब - नबीन मण्डी मार्ग, पश्चिम नबीन मण्डी मार्ग स्थित है।

धारा 5- यहकि विवादित भूमि का गाटा सं० 1156 मि० क्षेत्रफल 0.3130 हे० में यादी का 1/2 भाग व प्रतिपत्नी सं० के पिता स्व० हामिद अली का 1/2 भाग है स्व० हामिद अली अपने

In the Court of C.M.J. (S.D.J. (CNICIS) Subd. J. Sahid Ali is Kousar Ali Othman. R/S- No. /20

321/4

1/2 भाग से 3 बिस्वा का बैनामा प्रतिवादी सं 5 व 6 को कर  
 विषा शोषा भूमि पर प्रतिवादी सं 1 ता 4 का विज दखील है। बैनामे  
 से प्राप्त भूमि पर प्रतिवादी सं 5, 6 का विज दखील है। प्रतिवादी सं 5  
 5, व 6 से वादी की कोई <sup>तनाफा नहीं</sup> ~~विज दखील~~ है। किन्तु विवादित भूमि में  
 प्रतिवादी सं 5 व 6 सहभागी हैं। इसलिए उन्हें आवश्यक पक्षकार  
 बनाया जा रहा है।

In the Court of Civil Judge (W/U) Sub-  
 Tahsil Ali vs Kousar Ali Otho  
 R.S.N. - /20

धारा 6 - यह कि प्रतिवादी सं 1 ता 4 बहुत ही सरहंग किस्म के व्यक्ति है  
 प्रतिवादी सं 1 ता 4 बहुत ही विस्तारवादी नीति के व्यक्ति है  
 जब कि वादी बहुत ही सीधा साधा गरीब व्यक्ति है। वादी की  
 इसी सिंघाई का नाजायज लाभ लेते हुए प्रतिवादी सं 1 ता 4 दि 0  
 7-7-20 को मिस्त्री व मजदूर ले कर फावड़ा, कुदाल, रस्सी, फीता, से लैस  
 हो कर विवादित भूमि पर आये और विवादित भूमि की नाप जोखा  
 करने लगे। जब वादी ने प्रतिवादी सं 1 ता 4 से नाप जोखा का कारण  
 पूछा तो प्रतिवादी सं 1 ता 4 आमादा पौजवारी हुए और कहे कि हम लोग  
 यहाँ पर नपनिर्माण करेंगे जब वादी ने यह कहा कि आप लोग विवादित  
 भूमि के अपने हिस्से पर का विज दखील है तो मेरे हिस्से वाली जमीन पर  
 जबरदस्ती क्यों कब्जा कर रहे हो। तो प्रतिवादी सं 1 ता 4 कहे कि  
 स चाहे जो हो जाय हम विवादित जमीन को कब्जा कर लेगे।

धारा 7 - यह कि विवादित भूमि का कोई विधिक बंटवारा आज तक नहीं हुआ  
 है। न ही जेवारा का दावा न्यायालय में विचाराधीन है। बल्कि मौखिक

34/5

बंटवारे के अनुसार उपायपक्षगण कार्बिज दखील है।

धारा 8 - यह कि वादी ने अपने हिस्से की जमीन से को किसी भी व्यक्ति के पक्ष में अन्तरण नहीं किया है।

धारा 9 - यह कि वादी ने इल्ला गोदर करके गांव के सम्मानत व्यक्तियों को एकत्रित किया जिसके इस्ताक्षोप से उस समय मामला तो टल गया परन्तु आते जाते प्रतिवादी सं 01 ता 4 इस बात की धमकी दिया कि शीघ्र ही विवादित जमीन में स्थित वादी के हिस्से पर भी कब्जा करके निर्माण कर लेगे और वादीको विवादित भूमि से बेदखल करदेगे।

यदि

धारा 10 - यह कि प्रतिवादी सं 01 ता 4 उपरोक्त बेजा इरकत में कामयाब होकर विवादित भूमि में वादी के हिस्से पर भी जबरदस्ती बनपूर्वक कब्जा करने में सफल हो गये तो वादी की अक्षरणीय क्षति होगी जिसकी अन्वय क्षतिपूर्ति अन्य तरीके से सम्भाव नहीं होगी।

धारा 11 - यह कि वादी ने प्रतिवादी सं 01 ता 4 से बहुत ही अनुनय विनय किया कि प्रतिवादी सं 01 ता 4 विवादित भूमि में स्थित वादी के हिस्से वाली जमीन पर कब्जा न करे परन्तु प्रतिवादी सं 01 ता 4 वादी के अनुनय विनयको मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए वादा वापर करना आवश्यक हुआ।

धारा 12 - यह कि वाद का मूल कारण दिनांक 7-7-20 को प्रतिवादी सं 01 ता 4 द्वारा विवादित भूमि में स्थित वादी के हिस्से पर जबरदस्ती कब्जा करके बनपूर्वक वादीको विवादित भूमि से बेदखल कर देने की धमकी देने के कारण

30th Court of Civil Judge (15) Suburban  
Zahid Ali vs Kouson Ali Others.  
Ris. No / 20

321/6

माननीय न्यायालय की अधिकार सुनवाई सीमा व न्याय सुनवाई सीमा के अन्तर्गत उत्पन्न हुआ।

धारा 13 - यह कि जहाँ विवादित भूमि नगरीय क्षेत्र में स्थित काफी कीमती भूमि है जिसका कीमत 50 वस लाख रुपये है वहाँ वादा स्थाई व्यापारिक है इसलिए 10 लाख रुपये का 1/5 भाग 2 लाख रुपये होता है इसलिए स्थायी व्यापारिक की सुनवाई हेतु अधिकतम न्याय - शुल्क 500-00 रुपये अदा किया जाता है।

Mr. Justice G.V. (S) Subbarao  
Land Act vs Kausar Ali Others.  
R.S.N. - /20

याचना

- अ - दिक्री स्थाई व्यापारिक की आश्रयित वादी के पक्ष में प्रतिवादी गण के विरुद्ध इस आश्रयित पारिवारिक प्रधान की जाय कि प्रतिवादी सं० ता 4 को हरेगा हरेगा के लिए मना कर दिया जाय कि प्रतिवादी सं० ता 4 विवादित भूमि में स्थित वादी के हिस्से वाली भूमि से वादी को बलपूर्वक जबरदस्ती बेवखाल करके नवनिर्माण न करे तथा प्रतिवादी सं० ता 4 कोई भी ऐसा कार्य न करे जिससे विवादित भूमि में स्थित वादी के अपने हिस्से के शान्तिपूर्ण कब्जा व बखाल उपयोग व उपभोग में किसी भी प्रकार का कोई बाधा व व्यवधान उत्पन्न न हो।
- ब - ड खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी सं० ता 4 से दिलाया जावे।
- स - अन्य याचना जो उचित होवे वहाँ वादी को प्रतिवादी सं० ता 4 से प्रधान की जावे।

3/21  
K

विवरण विवादित भूमि

गाटा सं 0 1156 क्षेत्रफल 0.3130 हे० स्थित ग्राम गोरवारिक 8 मीरानपुर  
अमहट परगना मीरानपुर तहसील सदर जपद मुजतानपुर जिसे नकरा -  
नजरी में भाग 1 अ, ब, स, द, से व भाग 2 अक्षर, घ, र, ल, व से  
लाल रंग की रेखाओं से घेर कर दिखाया गया है।

मे वादी स्वयं तस्वीक करता हूँ कि उक्त  
वादपत्र की धारा 12 में ज्ञान से  
सही व सचेत समे न कुच्छुठ है न छिपाया  
गया है तथा धारा 13 में पाचना को सही  
होने का विश्वास करता हूँ तस्वीक मुकाम  
दीवानी कचेदरी मुजतानपुर दिनांक -

- S. Zahid M.  
प्रार्थी

जाहिर अली

वादी

द्वारा

अधिवक्ता *Jelani*

दि० 22/7/2021

By the Court of Civil Judge (N. C.S.) Suburban  
Zahid Ali vs. Kousar Ali Odr  
R.S. No. 1 / 20

गायब श्रीमान खिविल जज कस लो (15) मधेव सुलतानपुर

3/21/8

जहद अली

बनाम

वादीगस

पश्चिम

कौम (अ लो भाई)

उतिवधिगस


संख्या: 1/20

पश्चिम

नरसानपुरी

सुलतानपुर राड

पश्चिम



3/21/8  
ZAWAD ALI vs Kouson Ali  
RD-N  
1/20

सुलतानपुरी

दक्षिण भाग 1 - उत्तर - हाला अलात  
 पश्चिम - मखिद अनासा  
 पूरब - नवीन मण्डी मार्ग  
 पश्चिम - सेनानी बिहार

दक्षिण भाग 2 - उत्तर - गोवाम धारिनी  
 पश्चिम - हाला जोरद वसुधी  
 पूरब - जेल मैनखल वाउणी  
 पश्चिम - नवीन मण्डी मार्ग

जहद अली  
 S, ZAWAD ALI  
 वादा  
 जहद अली  
 जहद अली  
 जहद अली

न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड) कक्ष सं०-15  
सुलतानपुर

मूल वाद संख्या- 743/2020

जाहिद अली बनाम कौसर अली

7

दिनांक 22/07/20

आज यह वादपत्र व शपथपत्र मुन्सरिम आख्या के साथ प्रस्तुत हुआ ।  
अवलोकित । अंगीकरण के विन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हो ।

आदेश

मूलवाद के रूप में पंजीकृत हो । वाद दिनांक 22/07/2020 को  
वास्ते बयान तहरीरी एवं दिनांक 23/07/2020 को वास्ते बिरचित किये जाने  
वादविन्दु पेश हो । विपक्षी को सम्मन जारी हो वादी पैरवी तीन दिन में करे ।

सिविल जज(प्रवर खण्ड),

कक्ष सं०-15 सुलतानपुर

5ग2 प्रार्थनापत्र हुकुम इम्तिज़ाई चन्दरोजा अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2  
जा०दी० ।

6ग2 शपथपत्र ।

7ग2 प्रार्थनापत्र कमीशन अन्तर्गत आदेश-26 नियम 9 जा०दी० प्रस्तुत किया  
गया ।



न्यायालय सिविल जज (प्र० ख०)- कक्ष संख्या-15, सुलतानपुर।

मूल वाद संख्या-749/2020  
जाहिर अली-बनाम-कौसर अली।

दिनांक-22.07.2020

प्रार्थना पत्र दिनांकित 22.07.2020 वादी द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त वाद आज दिनांक 22.07.2020 को दायर किया गया है प्रस्तुत दावा में कुछ तकनीकी त्रुटि हो गयी है और विवाद से संबंधित समस्त तथ्य दावा उपरोक्त में समाहित नहीं पाया है। वाद के तथ्य संशोधन से भी संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में पुनः दावा दायर करने की अनुमति के साथ दावा उठाने की अनुमति दिया जाना आवश्यक है।

सुना पत्रावली का अवलोकन किया। उक्त वाद प्रस्तुत करते समय कुछ तकनीकी त्रुटि होने के कारण वादी मुकदमा वाद वापस लेना चाहता है, आधार पर्याप्त है। अतः ऐसे में प्रार्थना पत्र वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

#### आदेश

प्रार्थना पत्र दिनांकित 22.07.2020 स्वीकार किया जाता है। वादी को पुनः वाद संस्थित करने की अनुमति के साथ दावा उठाने की अनुमति दिया जाता है।

कार्यालय नियमानुसार वाद वापस कर पत्रावली दाखिल दफतर करे।

22.07.2020  
(संदीप कुमार)

सिविल जज (प्र० ख०) कक्ष संख्या-15,  
सुलतानपुर।

34/2

05-947/20

न्यायालय श्रीमान सिविल जज & प्रवर डाण्डे महोदय कोर्ट सं० 15 मुलतानपुर

जाह्न अली आयु लगभग 80 साल सुत नासिर अली निवासी ग्राम  
गौराचारिक मीरानपुर & अमडेट & तहसील सदर परगना मीरानपुर  
तहसील सदर जनपद मुलतानपुर वादी

बनाम

- 1- कौसर अली आयु लगभग 47 साल । सुतगणा
- 2- सरवर अली आयु लगभग 41 साल । डामिव अली
- 3- कसर जहाँ आयु लगभग 43 साल । पुत्रीगणा
- 4- गुलाब जहाँ आयु लगभग 45 साल । डामिव अली

निवासी गणा ग्राम गौराचारिक & मीरानपुर & अमडेट परगना मीरानपुर  
तहसील सदर जनपद मुलतानपुर

5- जावेद हुसैन खान आयु लगभग 45 साल सुत नईम उल्ला खान  
निवासी ग्राम अहई परगना मीरानपुर तहसील सदर, जनपद मुलतानपुर

6- शाबनम जगल आयु लगभग 30 साल पत्नी सईब अहमद निवासी ग्राम  
वरियापुर शाहर परगना मीरानपुर तहसील सदर जनपद मुलतानपुर

प्रतिवादीगणा

दावा स्थायी दवादेश

सा० दाद सं० सच 2020ई०

महोदय,

दादी निम्नलिखित निवेदन करता है कि :-

Handwritten notes in a vertical box on the right side of the page, containing names and possibly dates or case details.

3/1/23

धारा 1 :- यह कि वादी ग्राम गोरावारिक मोरानपुर अमडट परगना मोरानपुर तहसील सदर जपद मुलतानपुरका निवासी है और उभावपक्षण गाटा सं० 1156 मि० क्षेत्रफल 0.3130 हे० स्थित ग्राम गोरावारिक - मोरानपुर तहसील सदर जपद मुलतानपुर के संकल्पणीय भूमिधार है।

धारा 2 :- यह कि वादपत्र के साथ एक नक्शा नजरी दिया जा रहा है, जिसमें विवादित भूमि को भाग 1 को अक्षर अ,ब,स,द, से और भाग 2 को य,र,ज,व से लाल रंग की रेखाओं से घेर कर दिखाया गया है। नक्शा नजरी वाद पत्र का अभिन्न अंग है।

धारा 3 :- यह कि वाद के न्याय निर्णय हेतु निम्नलिखित व्यक्तियों का अधिलोकन किया जाना आवश्यक है :-

नासिर अली

जाद्वि अली	दाद्वि अली
------------	------------

कौसर अली	सरवर अली	कसर जहाँ	मुलाब जहाँ
----------	----------	----------	------------

धारा 4 :- यह कि विवादित भूमि में भाग 1 की चौहददी उत्तर - अक्षा अज्ञात, दक्षिण मस्जिद अक्षा, पश्चिम सेनानी विहार कालोनी, पूरब - नबीन मण्डी मार्ग, तथा विवादितभूमि में भाग 2 की चौहददी उत्तर- गोदाम दाफिज जी, दक्षिण दाता जवेद कवाड़ी पूरब- जेस गैसुअन वाउण्डी, पश्चिम नबीन मण्डी मार्ग स्थित है।

धारा 5 :- यह कि विवादित भूमि गाटा सं० 1156 मि० क्षेत्रफल 0.3130 हे० में वादी का 1/2 भाग व प्रतिवादी सं० 1 ता 4 के पिता स्व० दाद्वि अली का 1/2 भाग है तथा दाद्वि अली अपने जीवा काल में 1/2 भाग

Handwritten notes in a vertical box on the right side of the page, including the date 3/1/23 and other illegible text.



30/5

धारा 8: - यह कि वादी ने अपने हिस्से की जमीन को किसी भी व्यक्ति के पक्ष में अन्तरण नहीं किया है।

धारा 9: - यह कि वादी ने इलाहाबाद के गांव के सम्मानित व्यक्तियों को एकत्रित किया जिसके इच्छाक्षेप से उक्त समय मामला तो टल गया परन्तु जाते जाते प्रतिवादी सं 01 ता 4 इस बात की धमकी दिया कि शीघ्र ही विवादित जमीन में स्थित वादी के हिस्से पर भी बलपूर्वक कब्जा करके निर्माण करेगा और वादी को विवादित भूमि से बेवखल कर देगा।

धारा 10: - यह कि दिनांक 7-7-20 के वाद-अनुवाद वादी सुलह समझौते तथा मामले को सुधार के तरीके से निपटाने हेतु प्रशासनिक अधिकारियों तथा कुछ सम्मानित व्यक्तियों के कक्षों सुनने से पक्षकारों ने मौखिक रूप से समझौता कर दिया परन्तु अब समझौता के खिलाफ प्रतिवादी गण सं 01 ता 4 बेजा इरकत पर उतार है इसलिए वादा वापर करना लाजिम आया।

धारा 11: - यह कि प्रतिवादी गण सं 01 ता 4 उपरोक्त बेजा इरकत में कामयाब हो कर विवादित भूमि में वादी के हिस्से पर भी जबरदस्ती बलपूर्वक कब्जा करने में सफल हो गये तो वादी की अघोषित क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति अन्य तरीके से सम्भाव्य नहीं होगी।

धारा 12: - यह कि वाद का मूल कारण दिनांक 22-8-2020 को प्रतिवादी गण सं 01 ता 4 द्वारा विवादित भूमि में स्थित वादी के हिस्से पर जबरदस्ती कब्जा करके बलपूर्वक वादी को विवादित भूमि से बेवखल कर देने की धमकी देने के कारण न्यायालय की अधिकार सुनवाई सीमा व न्याय सुनवाई सीमा के अन्तर्गत उत्पन्न हुआ।

REPRODUCED FROM THE ORIGINAL FILE NO. 1511/2019/2020  
20/11/2020  
4000000000

9

321/6

धारा 13 :- यह कि प्रेक्वि विवादित भूमिगरोप क्षेत्र मे स्थातकापी की मती भूमि है जिसका कीमत रु० दस लाख रुपये है प्रेक्वि वावा स्थाई व्यादेशा का है इसलिये 10 लाख रुपये का 1/5 भाग रु० 2 लाख रुपये होता है इसलिये स्थायी व्यादेशाकी सुनवाईकेतु अधिकतम न्याय शुल्क रु० 500 रुपये अदा किया जाता है।

RECEIVED BY THE DISTRICT JUDGE (S) JALPAIGURI DISTRICT COURT, JALPAIGURI. 15/05/2016. 20

याचना

अ- लिखी स्थाई व्यादेशा की आज्ञा प्त वादी के पक्षा मे प्रतिवादी गणा के विरुद्ध इस आशयकी पारित व प्रदान की जायकि प्रतिवादी सं० 1 ता 4 को हमारा हमारा के लिए मनाकर दिया जावे कि प्रतिवादी सं० 1 ता 4 विवादित भूमि मे स्थात वादी के हिस्से वाली भूमि से सब वादी को बलपूर्वक जबरदस्ती बेदखल करके नवनिर्माण न करे तथा प्रतिवादी सं० 1 ता 4 कोई भी ऐसा कार्य न करे जिससे विवादित भूमि मे स्थात वादी के अपने हिस्से के शांतिपूर्ण कब्जा व बखाल उपयोग व उपयोग मे किसी भी प्रकार का कोई बाधा व व्यवधान उत्पन्न न हो।

ब - खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी सं० 1 ता 4 से दिलाया जावे।

स - अन्य याचना जो उचित होवे सबक वादी को प्रतिवादी गणा सं० 1 ता 4 से प्रदान की जावे।

विवरण विवादित भूमि

गाटा सं० 1156 क्षेत्रफल 0.3130 हे० स्थातग्राम मोरावारिक ३ मीरानपुर ३

8

अमरगढ़ परगना भीरानपुर तहसील सदर जमख सुलतानपुर जिले  
नकशा नजरी से भाग 18 अ, ब, ग, द, से व भाग 28 अक्षर  
घ, र, न, व से जाल रंग की रेखाओं से घेर कर दिखाया गया है।

मे वादी स्वयं तस्दीक करता हूँ कि उक्त  
कारपत्र की धारा 12 मेरे ज्ञान  
से सही व सच है इसमे नुकस हूठ है न  
दिखाया गया है तथा धारा 13 व  
याचना को सही होने का विश्वास  
करता हूँ तस्दीक सुनामदी वानी कचेहरी  
सुलतानपुर दिनांक - 27-08-2020

S. Zahid Ali  
प्राथमी -

जाहद अली  
वानी


द्वारा

अधीकता


दिनांक - 27-08-2020

Handwritten notes in a vertical box on the right side of the page, including the name 'S. Zahid Ali' and other illegible text.

आमालय श्रीमान सिविल एन एस को (15) मंडोय सुलतानपुरा



नक्शा नपरी



आमालय श्रीमान सिविल एन एस को (15) मंडोय सुलतानपुरा  
 जोहड़दाली आदि कौसा डाली आदि  
 1156 आवा 2  
 20

जोहड़दाली भाग-1 उत्तर- हारा डाली  
 दक्षिण- महिलादीगण  
 पूर्व- नदी न गण्डी मार्ग  
 पश्चिम- बेनाली बिछा

जोहड़दाली भाग-2 उत्तर- जोयम हाफिणजी  
 दक्षिण- हारा पावेद कबाडी  
 पूर्व- नदी न गण्डी मार्ग  
 पश्चिम- नदी न गण्डी मार्ग

S. Z. K. H. M.  
 प्राची  
 - जोहड़दाली  
 - वादी

1000000  
 2000000  
 3000000



न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड) कक्ष सं०-15  
सुलतानपुर

मूल वाद संख्या- 947/20

बनाम कै.स.अ.अ.  
दिनांक 27/9/20

आज यह वादपत्र व शपथपत्र मुन्सरिम आख्या के साथ प्रस्तुत हुआ।  
अवलोकित। अंगीकरण के विन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हो।

आदेश

मूलवाद के रूप में पंजीकृत हो। वाद दिनांक 27/9/20 को  
वास्ते बयान तहरीरी एवं दिनांक 05/10/20 को वास्ते बिरचित किये जाने  
वादविन्दु पेश हो। विपक्षी को सम्मन जारी हो वादी पैरवी तीन दिन में करे।

सिविल जज(प्रवर खण्ड),  
कक्ष सं०-15 सुलतानपुर

5ग2 प्रार्थनापत्र हुकुम इस्तिनाई चन्दरोजा अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2  
जा०दी०।

6ग2 शपथपत्र।

7ग2 प्रार्थनापत्र कमीशन अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जा०दी० प्रस्तुत किया  
गया।

27/8/20

इस्तिनाई चन्दरोजा  
शपथपत्र 27/9/20  
पेश किया गया  
दिनांक 05/10/20 को  
सुनवाई के लिए  
पेश हो।

सुलतानपुर-2019-2020

साफत प्रसा, सुलतानपुर

वादयुक्त नियुक्त किया जाता है। वाद परवा वादायुक्त का परवाना जारी हो। वादायुक्त  
उभयपक्ष को सूचित कर नियमानुसार वाद भूमि का कमीशन कार्यवाही कर आख्या मय नक्शा  
दिनांक तक प्रस्तुत करें।

(सदीप कुमार)

सिविल जज (प्र० ख०) कक्ष सं०-15  
सुलतानपुर।

न्यायालय सिविल जज प्रवर खण्ड कक्ष संख्या-15 सुलतानपुर।

मूल वाद संख्या-947/2020

जाहिद अली—बनाम—कौसर अली आदि ।

क-01.09.2020

प्रार्थना पत्र 5ग2 वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध अंतरिम निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादी विद्वान अधिवक्ता को एक पक्षी रूप से सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा वाद भूमि दर्शित अक्षर अ, ब, स, द एवं य, र, ल, व वादी व प्रतिवादीगण की संकमणीय भूमिधरी होना कहा है। इसमें वादी के 1/2 भाग पर प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 के पिता स्व0 हामिद अली का 1/2 भाग है स्व0 हामिद अली अपने जीवन काल में 1/2 भाग में से 03 विस्वा का बैनमा प्रतिवादी संख्या 05 और 06 कर दिया शेष भूमि पर प्रतिवादी संख्या 05 व 06 काविज दाखिल है प्रतिवादी संख्या 05 व 06 से वादी की कोई तनाजा नहीं है किन्तु विवादित भूमि में प्रतिवादी संख्या 05 व 06 सहखातेदार है। प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 विना वंटवारा कराये वादी के हिस्से को प्रभावित कर रहे है। प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्य उद्धरण खतौनी के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित गाटा में वादी व प्रतिवादीगण संकमणीय भूमिधर दर्ज है। चूंकि विवादित भूमि में वादी का हित है और प्रतिवादीगण 01 ता 04 विना विधिक प्रक्रिया अपनाये वादी को उसके संकमणीय अधिकारों से बेदखल कर देना चाहते है। ऐसे में वाद भूमि के बावत वादी का प्रथम दृष्टया मामला बनना पाया जाता है। अतः ऐसे में यदि अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश जारी नहीं किया जाता है और प्रतिवादीगण 01 ता 04 द्वारा वाद भूमि पर कब्जा कर लिया जाता है तो इससे वादी का दावा दायर करने का मकसद ही विफल हो जायेगा। अतः अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

उभय पक्ष को आदेशित किया जाता है कि वे वाद भूमि दर्शित अक्षर अ, ब, स, द एवं य, र, ल, व नक्शा वाद पत्र पर नियत दिनांक तक यथास्थिति बनाए रखे। वादी आदेश 39 नियम 3 सि0 प्र0 सं0 का अनुपालन करें। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। आपत्ति आमंत्रित किया जाता है। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 5ग2 व आपत्ति दिनांक 27.09.2020 को पेश हो।

01/09/20  
(संदीप कुमार)

सिविल-जज (प्र0 ख0) कक्ष सं0-15  
सुलतानपुर।

प्रार्थना पत्र 7ग2

वादी द्वारा अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जरिये अमीन अदालत वाद भूमि का कमीशन कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र 7ग2 स्वीकार किया जाता है। वादी पैरवी अविलम्ब करे। हल्का अमीन को वादायुक्त नियुक्त किया जाता है। वाद पैरवी वादायुक्त को परवाना जारी हो। वादायुक्त उभयपक्ष को सुचित कर निशानानुसार वाद भूमि का कमीशन कार्यवाही कर आख्या मय नक्शा नियत दिनांक तक प्रस्तुत करे।

01/09/20  
(संदीप कुमार)

सिविल जज (प्र0 ख0) कक्ष सं0-15  
सुलतानपुर।

28.09.20  
T1  
P  
O

16-9-20  
03  
12  
07  
CR/5757/L  
DS:10.20

5/10/2020

05-10-20  
P  
O

16-9-20  
03  
12  
07  
CR/5757/L  
20-10-20

20-10-20

20-10-20

3  
a

20.10.20

P

015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100

24.10.20 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100

4-11-20

04.11.20

015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100

015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100

19/11/20

18/11/20 P. S. कागज कारखाने की  
दिनांक 30/11/20 का  
पुस्तकें 7.19 बमो

W 15

30/11/20 - "G" - 10-12-20

7.19 पुस्तकें

16-12-20

पुस्तकें काटने वाली गड्डियाँ

लेखक P. S. कागज कारखाने का  
निर्देशन में प्रेषित है।

दि - 10/12-20 को

वास्तव में आदि कर्मचारी 26 नं०

बमो - 7.19 पुस्तकें

C-10-15

10  
12  
20

19/12/20

18/12/20

पुस्तकें

वास्तव में आदि कर्मचारी 26 नं० का  
वस्तु 03 दिनांक 17 नं० का  
कारखाने का 03 नं० का कारखाने का  
वास्तव में आदि कर्मचारी 26 नं० का  
कारखाने का 03 नं० का कारखाने का  
वास्तव में आदि कर्मचारी 26 नं० का  
कारखाने का 03 नं० का कारखाने का  
वास्तव में आदि कर्मचारी 26 नं० का  
कारखाने का 03 नं० का कारखाने का  
वास्तव में आदि कर्मचारी 26 नं० का  
कारखाने का 03 नं० का कारखाने का

19/12/20

19/12/20

3  
2

15  
01  
21

15/1/2021

15/1/21

115m  
15/1/21

04.01.21

पुकारा या पश्कार उपर्युक्त  
CR या आपत्ति कामकाज  
की वारिष्टी।  
दि. - 15-01-21 को  
वा.सू. नि. CR/15 म. /अमल  
पेश हो। T-पुकारा  
C. 10/15

15-01-21

18/01

18/1/21

01/1/21

18/01/21

18/01/21

01

पुकारा या पश्कार उपर्युक्त  
दि. - 18-01-21 को वा.सू.  
नि. CR/15 म. /अमल पेश हो।  
T-पुकारा  
C. 10/15

18.01.21

25/01/21

25/01/21

01

पुकारा या पश्कार उपर्युक्त  
33 म. आपत्ति वा.सू. CR  
आपत्ति/कामकाज, 34 म. आपत्ति  
वा.सू. CR वा.सू. कामकाज  
आपत्ति पक्ष दाखिल (उपारका)  
दि. - 25-01-21 को वा.सू.  
नि. CR पेश हो। T-पुकारा  
C. 10/15

साक्ष्य से साबित की जा सकती है। प्रभावली में अभी साक्ष्य आना शेष है। अतः इस स्तर पर  
आपत्त आख्या व जलशा समय पक्ष की आपत्ति के प्रकाश में साक्ष्याधीन पुष्ट किये  
जाने योग्य है।

न्यायालय सिविल जज (प्र0ख0) कक्ष संख्या-15 सुलतानपुर।

मूल वाद संख्या-947/2020

जाहिद अली-----बनाम-----कौशर अली आदि।

दिनांक-25-01-2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। पत्रावली वास्ते निस्तारण आपत्ति विरुद्ध कमीशन आख्या व नक्शा पेश हुआ।

आयुक्त आख्या व नक्शा पत्रावली पर कागज संख्या 27क2 व 28क2 उपलब्ध है। उभय पक्ष की तरफ से लिखित आपत्ति प्रस्तुत किया गया है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा लिखित आपत्ति कागज संख्या 34ग2 प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि वाद आयुक्त ने नक्शा नजरी में लाइन ए, बी की नाप 89' लिखा है जबकि मौके पर इसी 69'6" है। इसी प्रकार ए, बी लाइन के दक्षिण की लाइन वाद आयुक्त ने 98 फिट लिखा है जबकि यह नाप मौके पर 104 फिट है। बिन्दू बी के दक्षिण की नाप 34'6" लिखी है जबकि यह नाप 36 फिट 6 इंच है। तथाकथित रूप से सरवर ने अपना बताया नक्शा-नजरी में लिखा गया जो गलत है इसकी दीवाल 8 फिट गलत लिखी गयी है इसकी उंचाई जमीन से 04 फिट मौके पर है जो नक्शा नजरी अमीन महोदय ने ए, वी, सी, डी, ई, एफ की बताया है वह आकृति मौके के विपरीत है। एच, आई की नाप मौके पर 97 फिट है जबकि वाद आयुक्त ने गलत तरीके से 94 फिट 9 इंच लिखा है। दोनों विवादित भूमि का मध्य पक्की सड़क की स्थिति मौके के विपरीत दिखाई गयी है तथा पक्की सड़क की नाप नहीं लिखा है। अमीन रिपोर्ट नक्शा से विवादित भूमि व उसके मध्य की सड़क मौके पर नक्शा-नजरी से पहचान योग्य नहीं है। उपरोक्त वर्णित कारणों से कमीशन रिपोर्ट व नक्शा निरस्त होने योग्य है।

प्रतिवादीगण की तरफ से लिखित आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है लायक अमीन महोदय द्वारा अपनी कमीशन आख्या के साथ संलग्न मानचित्र में प्रदर्शित वाद भूमि जिसे अक्षर एच, आई, जे, के से प्रदर्शित किया गया है के मध्य में एक मेड स्थित की जिसे प्रार्थीगण द्वारा वरवक्त कार्य कमीशन वाद आयुक्त महोदय को दिखाया भी गया था किन्तु विद्वान वाद आयुक्त महोदय द्वारा उक्त मेड को जानबूझकर प्रदर्शित नहीं किया गया है। वरवक्त कार्य कमीशन विद्वान महोदय को आयुक्त आख्या के साथ संलग्न मानचित्र में प्रदर्शित अहाता डी, ई, एफ, जी के उत्तर स्थित अहाते जो कि जावेद का है को दिखाया जिसमें पूरब तरफ लोहे का गेट लगा है जिसे भी उनके द्वारा नहीं दिखाया गया है। उपरोक्त अनुसार वाद आयुक्त महोदय द्वारा प्रस्तुत आयुक्त आख्या व मानचित्र काबिल दुरुस्ती है।

आयुक्त आख्या व नक्शा के विरुद्ध उभय पक्ष की जो भी आपत्ति है वह मौखिक साक्ष्य से साबित की जा सकती है। पत्रावली में अभी साक्ष्य आना शेष है। अतः इस स्तर पर आयुक्त आख्या व नक्शा उभय पक्ष की आपत्ति के प्रकाश में साक्ष्याधीन पुष्ट किये जाने योग्य है।

आदेश

आयुक्त आख्या व नवशा उभय पक्ष की अमृत्ति के प्रकाश में साक्ष्याधीन पु  
जाता है। पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 02-02-2021 को पेश हो। द्यो आई।  
तिथि तक प्रभावी।

(संदीप कुमार)

सिविल जज (प्रोव्द), कक्षा संख्या-15  
सुलतानपुर।

10/2/21

10/02

02-02-21

पुनरावेत पक्षकाय  
श्री 10/2/21

दि 10-02-21 को  
वास्ते अग्रिम आदेश  
पेश हो।  
T. 10/2/21

10/02/21  
अग्रिम

10-02-21  
DP

वास्ते पुनरावेत पक्षकाय  
वास्ते अग्रिम आदेश पेश हो।  
अग्रिम आदेश दिनांक 10-02-21 को  
पेश हो।  
अग्रिम आदेश दिनांक 10-02-21 को  
पेश हो।  
अग्रिम आदेश दिनांक 10-02-21 को  
पेश हो।  
अग्रिम आदेश दिनांक 10-02-21 को  
पेश हो।  
अग्रिम आदेश दिनांक 10-02-21 को  
पेश हो।  
अग्रिम आदेश दिनांक 10-02-21 को  
पेश हो।  
अग्रिम आदेश दिनांक 10-02-21 को  
पेश हो।  
अग्रिम आदेश दिनांक 10-02-21 को  
पेश हो।

10/2/21



